

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16735/2025

Ramesh Nitharwal S/o Shri Banwari Lal Jat, Aged About 31
Years, R/o Ghasi Jat Ki Dhani, Bagru, Jaipur, Rajasthan

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Amit Kumawat Mr. Anshuman Jain
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP Mr. Tribhuwan Prasad Pandey Mr. Nitin Bhandari

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

12/02/2026

प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पुलिस थाना बगरू जिला जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 494/2024 अपराध अंतर्गत धारा 406, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि वाहन संख्या 24 बी एच 6551 डी प्रार्थी/अभियुक्त के पिता के नाम है। उक्त वाहन यदि किसी बैंक के पास बंधक होता तो इसका इंद्राज उक्त वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र में होता, लेकिन ऐसा कोई भी इंद्राज उक्त वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र में नहीं है। परिवादी ने प्रार्थी/अभियुक्त के साथ राजीनामा कर लिया है। प्रार्थी/अभियुक्त 31 वर्षीय है। बिना किसी उचित आधार के उसे अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त को अकारण गिरफ्तार किया

गया तो उसके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थी-अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि परिवादी की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त से कोई राजीनामा नहीं किया गया है। इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा एकलपीठ विविध आपराधिक याचिका संख्या 8753/2024 आदेश दिनांक 06.11.2025 के द्वारा खारिज की जा चुकी है। पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 406, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध होना पाया है। प्रार्थी/अभियुक्त से अनुसंधान किया जाना शेष है, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना की रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आरोप है कि वह बैंकों से लोन फाइनेंस कंपनियों से मिलीभगत कर फर्जी आधार कार्ड व पेन कार्ड बनाकर अनजान आदमियों की फोटो पर खुद की फोटो लगाकर, नाम और निवास स्थान बदलकर, बैंक का स्टेटमेंट दूसरी जगह बनाकर फर्जीवाड़े से वाहन खरीदने व बेचने का काम करता है। जो आदमी मर चुके हैं उनका आधार कार्ड व पेन कार्ड बनाकर उनमें निवास स्थान बदलकर दस्तावेज अपने घर पर प्रिंट मशीन, फोटो कॉपी मशीन, लैपटॉप व अन्य मशीनें लगाकर फर्जी दस्तावेज तैयार करता है। घटना की रिपोर्ट में, इलेक्ट्रिक स्कूटी संख्या आरजे-60-एसएफ-4506 है व मारुति सुजुकी क्रेता का रजिस्ट्रेशन नंबर 24 बीएच 6551 डी वाहन का उल्लेख करते हुए यह बताया गया है कि इलेक्ट्रिक स्कूटी जो भूराराम के नाम से है, जिस पर फोटो प्रार्थी/अभियुक्त की लगी हुई है और उसका आधार कार्ड, पेन कार्ड, बिजली का बिल, बैंक स्टेटमेंट दूसरी जगह का लगा हुआ है। जबकि भूराराम की मृत्यु 2021 में हो चुकी है। मारुति सुजुकी पर बैंक ऑफ बड़ौदा बगरू में मिलिभगत करके दिनांक 21.03.2024 को फर्जी दस्तावेजों द्वारा लोन लिया

गया था। पुलिस ने अनुसंधान में वाहन केता जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 24 बी एच 6551 डी है जो जीतमल पुत्र भूराराम जाट निवासी अजमेर रोड गेगा बगरू (जयपुर) का निवासी है, उक्त पर इस नाम का कोई भी व्यक्ति निवास करना नहीं बताया है। ग्रान्ड विटारा कार जो प्रार्थी/अभियुक्त के पिता के नाम पंजीकृत है, दिनांक 21.02.2025 को जीतमल से बनवारी लाल के नाम ट्रांसफर होने व उक्त वाहन के ऋण खाते का दिनांक 13.11.2024 को फोर क्लोज करना बताया गया है। पुलिस ने अनुसंधान में प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मृतक रिश्तेदार भूराराम जाट का छदम रूप धारण करते हुए भूराराम जाट के आधारकॉर्ड व पेन कार्ड में भूरा राम जाट की फोटो के स्थान पर प्रार्थी/अभियुक्त ने स्वयं की व अन्य व्यक्तियों की फोटो लगाकर और पते में कांट-छांट कर दस्तावेजों के उपयोग में लेकर नए वाहन क्रय कर अन्य व्यक्तियों को बेचान किए जाने के तथ्य अनुसंधान में सामने आए हैं। पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 406, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध पाया है। पुलिस ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 406, 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध होना पाया है। प्रार्थी/अभियुक्त की अनुसंधान में आवश्यकता है। प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा फंसाया गया हो, या उस पर प्रथम दृष्टया का मामला नहीं बनता हो यह इस स्तर पर नहीं कहा जा सकता है।

अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों की गंभीरता, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त रमेश निठारवाल पुत्र श्री बनवारी लाल जाट की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J